

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10188/1910

दिनांक: 14-09-2022

सेवा मे

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.0137 ha. of forest land for existing retail outlet of BPCL Ltd.
Along Jagadhri-Ponta-Sahib Road, at Village Tejli (WML), Jagadhri-Ponta
Sahib Road, under Forest Division and District Yamunanagar, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approiach/148833/2021

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 9-HRB067/2022-CHA दिनांक 26.05.2022 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर
के पत्र क्रमांक 1228 दिनांक: 12.08.2022 से प्राप्त सूचना आपको निम्नप्रकार से भेजी जाती
है:-

1.	The Forest Area proposed to be diverted has not been marked or highlighted in SOI toposheet provided. Revised Toposheet may kindly be provided.	online uploaded
2.	As per the DFO Inspection Report, there is a violation of FCA, 1980 by the U/A. A Violation Report for the same has been provided. However, a detailed violation report (as mentioned in Inspection Report) has not been provided. Kindly provide the same.	Online uploaded
3.	As per additional documents at 13 (2) of Part II, the proposal of diversion was started in 2012 manually and CLU is of 2004. There appears negligence on the part of the State Govt. to monitor the PF and the said petrol pump is still operational without any legal documents. Thus, a self contained note explaining the said delay and clearly indicating if it was violation of FC Act or IFA, may kindly be provided for further necessary action.	वन मण्डल अधिकारी, रेवाडी ने लिखा है कि युजर एजेंसी द्वारा वर्ष 2004 में ऑफलाईन आवेदन किया गया था जिसमें 32200/- रु0 CA Charge इत्यादि 0406-Forestry & Wild life Forestry CA में जमा करवा दी गई थी। यह पेट्रोल पम्प वर्ष 2005 से चल रहा है जिसके अनुसार वर्ष 2005 से पैनल्टी लगाकर प्रस्ताव भेजा गया है।

सलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सी0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

13/9/22 12 15/9/2000

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय:- उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

कमांक: 1228

दिनांक: 12/8/22

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला।

विषय:-

Diversion of 0.0137 hac. of Forest land for Existing Retail Outlet of Bharat Petroleum Corporation Ltd. At Village Tejli (WML) on Jagadhri Ponta Sahib Road, Tehsil Jagadhri, under forest Division and Distt. Yamuna Nagar. Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Approach/148833/2021.

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चण्डीगढ़ का पत्र कमांक 9-HRB067/2022-CIIA दिनांक 26.05.2022।

उपरोक्त सन्दर्भांकित पत्र के सम्बंध में मांगी गई सूचना विन्दू वाईज निम्नप्रकार से आपकी सेवा में भेजी जाती है:-

i)-

यूजर एजेंसी द्वारा Topo Sheet में प्रोजेक्ट साईट को Highlight करके ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट-1 में अपलोड कर दी गई है।

ii)-

Detailed violation report ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट-2 Addl. Information में अपलोड कर दी गई है।

iii)-

विन्दू न0 3 के सम्बंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि यूजर एजेंसी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 के तहत वर्ष 2004 में ऑफलाईन आवेदन किया गया था जिसमें 32200/- रुपये की राशि क्षतिपूर्ति पौधारोपण के रूप में यूजर एजेंसी से प्राप्त कर 0406-Forestry & Wild life 01-Forestry 800 other receipts Compensatory Afforestation हैड में जमा करवा दी गई थी। यूजर एजेंसी अनुसार उक्त पेट्रोल पम्प वर्ष 2005 से चल रहा है जिसके अनुसार इस कार्यालय द्वारा सी0एम0 रकीम में वर्ष 2005 से पैनल्टी (Five times NPV+Interest @12% per annum) लगाकर ऑनलाईन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आपको भेजा गया है।


सूचना आपकी सेवा में साथ संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/उपरोक्त

पृ0क0 1229


दिनांक 12/8/22

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक उत्तरी परिमण्डल अम्बाला सूचनार्थ प्रेषित है।


12/08

उप वन संरक्षक
यमुनानगर।

12/08/2022


12/18

उप वन संरक्षक
यमुनानगर।

12/08/2022